

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सुमन देवी II, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़
दयानंद वगै० बनाम राजस्थान सरकार
किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल आर एक्ट धारा 111 सहपठित धारा
128 पत्थरगढ़ी)
मुकदमा न० 51/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/4/2025	<p>पत्रावली आज की तारीख पेशी में ली गयी। पत्रावली में आज बहस सुनी गयी दौरान बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी तामिल हेतु जारी नोटिस असल तामिल होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की बार- बार आवाज लगवायी गयी आवाज पर ना तो इसकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया। अतः अप्रार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 200/4, खसरा संख्या 201/4, एवं 5, भूमि है। अतः प्रार्थी व पडोसी खातेदारान एवं सह खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भूमि सरदारपुरा के खसरा नम्बर 200/4, खसरा संख्या 201/4, एवं 5, भूमि के प्रार्थी व सहखातेदार व पडोसी खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौरान पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार पिलानी को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी/सूरजगढ़